



झारखण्ड सरकार

कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

दूरभाष-0651-2400790, e-mail-ig-prison@jharkhandmail.gov.in, jharkhandprisons@gmail.com

-:WALK IN INTERVIEW:-

नियुक्ति विज्ञापन संख्या-04/जेल/2026

राज्य के विभिन्न काराओं में कक्षपाल/महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिक बल को संविदा पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्नांकित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पूर्वाह्न 08:00 से संध्या 04:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिक व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों/अभिलेखों के साथ अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका के समक्ष निम्नांकित तिथि को ससमय उपस्थित होंगे :-

क्र०	कारा का नाम	रिक्त		नियुक्ति का स्थान एवं तिथि
		पुरुष	महिला	
1.	केन्द्रीय कारा, दुमका	41	01	केन्द्रीय कारा, दुमका दिनांक-03.09.2026
2.	मंडल कारा, जामताड़ा	35	04	
3.	मंडल कारा, गोड्डा	17	04	
4.	मंडल कारा, पाकुड़	29	03	
5.	मंडल कारा, साहेबगंज	14	04	
6.	मंडल कारा, देवघर	13	03	
7.	उपकारा, राजमहल	15	03	
कुल योग-		164	22	


- 1) भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों की सं०-186 (एक सौ छियासी) है।
- 2) यह पद राज्य स्तरीय है।
- 3) ये नियुक्तियाँ एक प्रकरण में एक (01) वर्ष के लिये होंगी एवं आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जायेगा एवं नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- 4) अनुबंध पर नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को एकमुश्त मानदेय ₹20,000/- (बीस हजार) मात्र प्रति माह की दर से भुगतान किया जायेगा एवं प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% (आठ प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जायेगी। इसके अलावे कोई राशि देय नहीं होगी।
- 5) भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें होंगी :-
 - (i) सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुश्त मानदेय के आधार पर किया जायेगा।
 - (ii) अनुबंध पर रखे गये इन कर्मियों को एक वर्ष में केवल 20 (बीस) दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
 - (iii) इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।
 - (iv) कर्तव्यपालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह उन्हें भी देय होगा। परन्तु आश्रित को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

- (v) इन्हें पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं कदाचार चारित्रिक दोष की स्थिति में बिना किसी सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- (vi) इन्हें चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- (vii) ये नियुक्तियाँ अनुबंध पर है तथा नियमित नियुक्ति नहीं है, साथ ही सैन्य सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने से आरक्षित कर्मियों की संख्या में कमी रहने की संभावना है। अतएव इस स्थिति में इन पदों के नियुक्ति में प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर को इस शर्त के साथ शिथिल किया गया है कि संविदा नियुक्ति में झारखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 6) अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदक का उम्र दिनांक-01.06.2026 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति में कम उम्र वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 7) इन भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रथम एक माह तक कक्षपालों के कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात् उन्हें आवश्यकतानुसार केन्द्रीय काराओं/मंडल काराओं/उपकाराओं में पदस्थापित किया जा सकता है। नियुक्ति होने पर इन्हें तत्काल योगदान करना अनिवार्य होगा।
- 8) संदर्भित अनुबंध पर नियुक्ति के पश्चात् बिना सूचना के कार्य से अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि वे अपने कर्तव्य से भाग गए हैं, इसे अनुशासनहीनता के रूप में देखा जायेगा एवं नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।
- 9) अनुबंध पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों पर कारा हस्तक के तहत कक्षपाल के लिए निर्धारित सेवा शर्तें लागू होंगी।
- 10) जो भूतपूर्व सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें उनके इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है। साथ ही ड्राइवर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 11) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे :-
- डिस्चार्ज कार्ड
 - पहचान पत्र
 - शैक्षणिक योग्यता
 - जाति प्रमाण पत्र
 - स्वपता लिखित लिफाफा (24c.m.x11c.m.) जिसपर ₹60/- का डाक टिकट लगा हो।
 - एक स्वअभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराये गये Form में चिपकायेंगे
 - दो स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।
- 12) पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से Walk in Interview की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथो-हाथ प्राप्त किया जायेगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जाँच परीक्षण काराधीक्षक तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्यों के समक्ष की जायेगी।

- 13) संबंधित काराधीक्षक तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्यों के द्वारा संदर्भित भूतपूर्व सैनिक को उपयुक्त पाये जाने पर तत्काल एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराकर औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए अनुमोदन हेतु तत्काल महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ, झारखण्ड को समर्पित किया जायेगा।

उक्त जाँच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

- 14) यह विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.gov.in वेब साईट पर Home Department के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है तथा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ, झारखण्ड के कार्यालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।



महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ,
झारखण्ड।

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या-04 / जेल / 2026

- 1- आवेदक का नाम -
(देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ)
(बड़े रोमन अक्षरों में साफ-साफ)-
- 2- पिता का नाम -
- 3- शैक्षणिक योग्यता-
- 4- फोन / मोबाईल सं०-
- 5- स्थायी पता- ग्राम / मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस..... थाना-.....
जिला-..... पिन कोड..... राज्य
- पत्राचार का पता-ग्राम / मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस..... थाना-.....
जिला-..... पिन कोड..... राज्य
- 6- जन्म तिथि- दिन माह वर्ष
- 7- जाति - (सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अनु०जाति / अनु०जनजाति)-
- 8- दिनांक- 01.06.2026 को उम्र- वर्ष माह दिन
- 9- सेवा निवृत्ति के समय सेना में किस रैंक पर कार्यरत रहे -
- 10- सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि एवं यूनिट जहाँ से सेवा निवृत्त हुए-
- 11- जिला सैनिक कार्यालय का नाम एवं पंजीयन संख्या (जहाँ पंजीकृत हैं)
- 12- शारीरिक पहचान के दो चिह्न - 1).....
2).....
- 13- यदि कम्प्यूटर योग्यता / जीप चालन की योग्यता (ड्राईविंग लाईसेंस सहित) या अन्य कोई तकनीकी योग्यता या अनुभव जैसे ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, मोटर मेकेनिक आदि हो तो उसका उल्लेख करें।
1).....
2).....
3).....
- 14- डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार आवेदक का चरित्र एवं स्वास्थ्य

स्वअभिप्रेमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो

15- संलग्न किये जाने वाले स्वअभिप्रमाणित प्रमाण-पत्रों की सूची (डिस्चार्ज कार्ड/पहचान पत्र/शैक्षणिक योग्यता/अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/दो अतिरिक्त स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो/ टिकट लगा लिफाफा)

1).....2).....

3).....4).....

5).....6).....

7).....8).....

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र:-

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण-पत्र सही है। मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं संविदा बिना कारण बताये रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमे में आरोप पत्रित/संदिग्ध/दण्डित नहीं हुआ हूँ, एवं मैंने इससे पूर्व झारखण्ड राज्य के किसी कारा में संविदा के आधार पर कक्षपाल के पद पर कार्य नहीं किया है।

दिनांक :-

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर